न्यायालय अपर समाहर्त्ता, रोहतास (सासाराम)

जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं0 – 53/2017

प्रथम पक्ष– केश्वर सिंह एवं अन्य **बनाम द्वितीय पक्ष**– (1) रामस्वरूप राम एवं अन्य ग्राम – मिश्रीपुर ,जिला – रोहतास ,सासाराम ।

आदेश

आवेदक केश्वर सिंह एवं अन्य ग्रामीण जनता ग्राम – मिश्रीपुर द्वारा न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता , सासाराम के लगान निर्धारण वाद सं0 '– 03/2016–17 (रामस्वरूप राम वगै0 बनाम अंचल अधिकारी , सासाराम) में दिनांक 30.092016 को पारित आदेश के विरूद्व आवेदन पत्र दाखिल किया गया । प्राप्त आवेदन पत्र के आलोक में इस कार्यालय में जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं0 – 53/2017 प्रारंभ किया गया । प्रश्नगत भूमि का विवरण निम्न प्रकार है :–

मौजा	थाना नं0	खाता सं0	खेसरा सं0	रकबा
मिश्रीपुर	144	59	361	07 ए0 97 डी0

आवेदक का कथन है कि उक्त प्रश्नगत भूमि न्यायालय उप निदेशक , चकबंदी ,सासाराम अपील सं0 –933 /1990–91 के अनुसार उक्त भूमि सर्वसाधारण की है। यह जमीन सार्वजनिक उपयोग में है। विपक्षी जगमोहन राम इस फैसला के खिलाफ वाद सं0 – 193/2000 दायर केया जिसमें न्याायालय , संयुक्त निदेशक , चकबंदी मुख्यालय , बिहार के द्वारा जगमोहन राम का दावा खारिज करते हुए इसे सर्वसाधारण जमीन एवं ताल धोषित किया।

आवेदक का आगे कहना है कि जगमोहन राम का केस नं0 04/1976 द्वारा बी0टी0 ऐक्ट 108 में इनका दावा खारिज हुआ । ग्रामीणों ने टाईटिल सूट नं0 – 57/2016 न्यायालय सब जज – 01 में सर्वसाधारण ताल रहने के लिए दायर किया ।

आवेदक का आगे कहना है कि टाईटिल सूट होने के बाद भूमि सुधार उप समाहर्त्ता ,सासाराम हाई कोर्ट के अतिक्रमण वाद फैसले को आधार बनाकर दिनांक 30.09.2016 को जगमोहन राम के बेटे के नाम से लगाान निर्धारण कर अंचल अधिकारी , सासाराम के मिलीभगत से इसजमीन का रसीद काट दिया गया तथा अंचल अधिकारी ,सासाराम और भूमि सुधार उप समाहर्त्ता ने इस जमीन का रसीद काट दिया गया तथा अंचल अधिकारी ,सासाराम और भूमि सुधार उप समाहर्त्ता ने इस जमीन को अपने आदमी भूपेन्द्र त्रिपाठी के नाम से इस जमीन में से 20 डी0 जमीन का रजिस्ट्री कराकर अंचल अधिकारी एवं भूमि सुधार उप समाहर्त्ता उक्त जमीन को बेचना शुरू कर दिये।

उक्त आवेदन पत्र के आलोक में इस कार्यालय के पत्रांक 48/रा0 ,दिनांक 06.01.2018 से विपक्षी रामस्वरूप राम को नोटिस निर्गत किया गया । अंचल अधिकारी सासाराम के पत्रांक 61 ,दिनांक 09.01.2018 से तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ । दिनांक 10.01.2018 को विपक्षी रामस्वरूप राम ,जयनाथ पासवान ,जयप्रकाश पासवान ,जयहिन्द पासवान द्वारा वकालतनामा के साथ उपस्थित होकर कागजातों को उपलब्ध कराने हेतु समय आवेदन दिया ,जिससे स्पष्ट है कि आवेदक को अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है तथा बेवजह समय की मांग कर न्यायालय का समय नष्ट करना चाह रहे है।

प्राप्त आवेदन पत्र तथा आवेदन पत्र में संलग्न कागजातों का अवलोकन किया गया । न्यायालय उप निदेशक चकबंदी , रोहतास ,सासाराम के अपील वाद सं0 –933/1990–91 धारा 10(6)रामपति सिंह बनाम जगमोहन राम एवं अन्य में पारित आदेशानुसार चकबंदी पदाधिकारी ,सासाराम के वाद सं0 10/75 को रद्द करते हुए भूमि की

प्रकृति अनाबाद सर्वसाधारण किस्म ताल के नाम से सुधार करने का निदेश दिया गया है। उक्त पारित आदेश के विरूद्व आवेदक के पिता जगमोहन राम द्वारा न्ययालय संयुक्त निदेशक , चकबंदी ,बिहार पटना के न्यायालय में पुनरीक्षण वाद सं0 – 193/2000 अपील वाद दायर किया गया , जिसकी कार्रवाई समाप्त कर दी गयी । माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 नं0 – 1136/1989 में दिनांक 14.09.1999 को पारित आदेश को आधार बनाकर भूमि सुधार उप समाहर्त्ता , सासाराम द्वारा लगान निर्धारण वाद सं0 – 03/16–17 में दिनांक 30.09.2016 को आदेश पारित कर लगान निर्धारण कर दिया गया है । पारित आदेश के आलोक में अंचल अधिकारी ,सासाराम द्वारा जमाबंदी कायम कर रसीद निर्गत कर दिया गया है। जो नियमानुकुल सही प्रतीत नहीं होता है ,चूंकि भूमि किस्म अनाबाद सर्वसाधारण ताल है। माननीय उच्च न्यायालय ने सी0डब्लू0जे0सी0 नं0 – 1136/1989 में विवादित भूमि के right and title को विवादास्पद बताया है जबकि भूमि सुधार उप समाहर्त्ता द्वारा इसे उल्टा बताते हुए लगान निर्धारण एवं जमाबंदी कायम करने का आदेश पारित किया है जो सर्वथा अनुचित है। ज्ञातव्य हो कि प्रधान सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग , बिहार पटना के पत्रांक 655(6)/रा0 ,दिनांक 16.06.2016 की कंडिका 4 (iii) के अनुसार जल श्रोतों की पूरी अथवा कुछ हिस्से की भूमि की कायम जमाबंदियों को अभियान चलाकर रद्द करने का निदेश दिया गया है।

अतः उपरोक्त वर्णित परिस्थिति एवं राजस्व विभागीय दिशा निदेशों के आलोक में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता , सासाराम द्वारा लगान निर्धारण वाद सं0 03/2016–17 में दिनांक 30.09.2016 को पारित आदेश को रद्द करते हुए विवादित भूखंड से संबंधित जमाबंदी को एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है। विक्षुब्ध पक्ष पारित आदेश के विरूद्व जिला पदाधिकारी , रोहतास ,सासाराम के न्यायालय में अपील दायर कर सकते है ।

लेखापित एवं संशोधित।

10/1/18

अपर समाहर्त्ता,
रोहतास (सासाराम)।

10/1/18

अपर समाहर्त्ता,
रोहतास (सासाराम)।

ज्ञापांक 72 /रा0, दिनांक 10/01/18

प्रतिलिपि :– भूमि सुधार उप समाहर्त्ता ,सासाराम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :– अंचल अधिकारी, सासाराम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :– राष्ट्रीय सूचना विज्ञान पदाधिकारी (NIC) रोहतास, सासाराम को आदेश की प्रति जिले के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:– जिला पदाधिकारी , रोहतास ,सासाराम को सूचनार्थ प्रेषित।

10/1/18

अपर समाहर्त्ता,
रोहतास (सासाराम)।